

निविदा प्रपत्र संख्या नि0 का0 – 3

(नियम 23 देखिये)

(प्रमुख सचिव पंचायती राज के कार्यकारी आदेश संख्या 5748/33-2-2006-190 जी0/2006 दिनांक 17-11-2006 द्वारा संशोधित)

ठेकेदारों के लिये प्रतिशत दर टेंडर की मद

निर्माण कार्य का नाम :

ठेकेदार का नाम :

ठेकेदारों के पथ प्रदर्शन के लिए सामान्य नियम और निर्देश

1. ठेके द्वारा निस्पादन के लिए प्रस्तावित सभी निर्माण-कार्य टेंडर आमंत्रित करने के रूप में विज्ञापित किये जायेंगे और मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट्ट पर चिपकाये जायेंगे जिस पर उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
इस प्रपत्र में किये जाने वाले निर्माण-कार्य का वर्णन और टेंडर प्रस्तुत करने और खुलने का दिनांक और निर्माण-कार्य सम्पादित करने लिये अनुमत समय, टेंडर के साथ जमा की जाने वाली बयाने की धनराशि और सफल टेंडर देने वाले द्वारा जमा की जानेवाली प्रतिभूति, और बिलोंसेकाटा जाने वाला प्रतिशत यदि कोई हो, दिया जायेगा। इस ठेका लेख्य के सेट में प्रस्तावित निर्माण-कार्य की ड्राइंग और ब्यौरा, विशिष्टियां, निर्माण-कार्यों के विभिन्न मदों के परिमाणों की अनुसूची और प्रयुक्त किये जाने वाले टेंडर के, जिस पर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पहचान के लिये हस्ताक्षर किया जायेगा, प्रपत्र के साथ मुद्रित ठेका शर्तों का प्रपत्र होगा और उस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा जो ठेका देने के लिए सक्षम हो और वह मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में, कार्यालय समय में जनता के निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा।
2. यदि टेंडर किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाय तो इस पर फर्म के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग-अलग हस्ताक्षर अवश्य किया जाना चाहिए या किसी भागीदार के अनुपस्थित होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे इस पर हस्ताक्षर करने के लिये मुख्तारनामों का अधिकार हो इस पर हस्ताक्षर अवश्य किया जाना चाहिए।
3. किसी ऐसे निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में, जब किसी फर्म द्वारा वह निस्पादित किया जाय, किये गये भुगतान के लिए रसीद पर विभिन्न भागीदारों द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, सिवाय जब टेंडर में ठेकेदार फर्म के रूप में वर्णित किये गये हो उस दशा में रसीदों पर फर्म के लाभ में किसी एक भागीदार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हें फर्म के लिए प्रभावी रसीद देने का अधिकार हो, अवश्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
4. कोई ठेकेदार जो टेंडर प्रस्तुत करता है टेंडर का नियम प्रपत्र भरेगा और वह प्रपत्र के पृष्ठ 3 पर वैकल्पिक प्रस्ताव को जो उस मामले पर लागू न हो काट देगा। ऐसे टेंडर जिनमें टेंडर आमंत्रित करने की सूचना के प्रपत्र में विनिर्दिष्ट निर्माण कार्यया ऐसा निर्माण कार्य करने के लिए अनुमत समय में या जिसमें किसी प्रकार की कोई अन्य शर्तें हो, उसमें कोई परिवर्तन करना हो या अंग्रजी में भरे गये हों या उसके साथ विज्ञापित बयाने की धनराशि जमा न की गयी हो, अस्वीकार कर दिये जायेंगे। टेंडरों पर लिफाफे के बाहर उस निर्माण-कार्य का नाम जिसके संबन्ध में वे हों, लिखा जायेगा।
5. मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत सहायक किन्ही इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में जो उस समय उपस्थित हों, टेंडर खोलेगा और विभिन्न टेंडरों की धनराशि एक उपयुक्त प्रपत्र में, एक तुलनात्मक विवरण पत्र में दर्ज करेगा। टेंडर स्वीकर कर लिये जाने की दशा में, उसके साथ भेजे गये बयाने की धनराशि के लिये तदुपरान्त ठेकेदार को एक रसीद दी जायेगी, जो तदुपरान्त पहचान के लिये पैरा 1 में उल्लिखित विशिष्टियों और अन्य लेख्यों की प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर करेगा। टेंडर अस्वीकार कर दिये जाने की दशा में, ऐसे अस्वीकार किये गये टेंडर के साथ भेजी गयी बयाने की धनराशि तदुपरान्त ठेकेदार को लौटा दी जायेगी।
6. स्वीकृति प्राधिकारी को सभी या किसी टेंडर को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
7. ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी बयाने की धनराशि के लिये किसी लेखाकार या लिपिक की रसीद, मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को भुगतान करने की अस्वीकृति के रूप में नहीं मानी जायेगी और ठेकेदार इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उसे मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रसीद मिल जाय।
टेंडर प्रपत्र जारी किये जाने के पूर्व ऐसे निर्माण-कार्य का ज्ञापन जिसके लिए टेंडर अमंत्रित किया गया हो मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में भरा/भेजा जायेगा।
9. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि आयकर विभाग, व्यापारकर विभाग, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निविदादाता के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न कर दिया जाय।
10. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ठेकेदार द्वारा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत 6 माह से कम अवधि का निविदादाता का चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न कर दिया जाय।
11. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ठेकेदार द्वारा जनपद के जिलाधिकारी/जिलामजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त सम्बन्धित ठेकेदार की प्रस्तावित संविदागत कार्य को करने की आर्थिक क्षमता एवं पूर्व प्रचलित संतोषजनक गतिविधियाँ सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न कर दिया जाय।
12. जिला पंचायत, राजकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संगठनों, प्राधिकरणों आदि के काली सूची में अंकित ठेकेदारों/माफियाओं को निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र भरने एवं ठेकेदार देने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होगा।

13. एक ठेकेदार द्वारा एक साल्वेन्सी सर्टीफिकेट एक ही विभाग में प्रयोग की जायेगी। कुछ साल्वेन्सी सर्टीफिकेट का बैंक एवं आयकर विभाग से भी सत्यापन कराये जायेंगे और ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत अर्थिक स्थिति / साल्वेन्सी

(1)

सर्टीफिकेट प्रस्तुत किया जाना पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

14. किसी भी अधिवक्ता को जो राज्यबार कौंसिल में पंजीकृत हो, जिला पंचायत के कार्यों को करने का ठेका अथवा पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
15. जब कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा संभावित निविदाकर्ताओं को धमकी दी गयी है अथवा उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर पुनः निविदा मॉगने की व्यवस्था की जायेगी।
16. किसी भी ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था, या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओं नोटिस अवश्य दी जायेगी।
17. निविदा के समय निविदा क्रय करते समय अथवा डालते समय ठेकेदार की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निविदा को ई-मेल, रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट अथवा कार्यालय में सीधे जमा किया जा सकता है। निविदा फार्म को वेबसाइट **allahabad.nic.in** से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट पर निविदा फार्म जमा करते समय निविदा फार्म का मूल्य तथा धरोहर धनराशि नकद जिला पंचायत के **पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या..1006000108009627** में सीधे जमा किया जायेगा और उसकी डिटेल निविदा फार्म पर दी जायेगी। निविदा खोलने की तिथि एवं समय के पूर्व प्राप्त निविदा फार्मों बयाने की धनराशि (धरोहर धनराशि की मूल प्रति) पर ही विचार किया जायेगा।

निर्माण-कार्य के लिए टेण्डर

मैं/हम एतद् द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत/प्रमुख, क्षेत्र समिति के निमित्त निम्नलिखित ज्ञापन पत्र में उल्लिखित निर्माण कार्य का, ऐसे ज्ञापन पत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसमें उल्लिखित दरों पर इसके पैरा 1 और ठेका की शर्तों के खण्ड 2 में निर्दिष्ट विशिष्टियों, डिजाइन ड्राइंग और लिखित अनुदेशों के अनुसार और सभी प्रकार से और ऐसी सामाग्री से जिनकी वयवसी की गयी हो और ऐसी शर्तों के अनुसार जहाँ तक प्रयोज्य हों सभी अन्य प्रकार से निस्पादित करने के लिए टेण्डर देता हूँ / देते हैं।

ज्ञापन-पत्र

(क) सामान्य ब्योरा- यदि अनेक उप निर्माण-कार्य सम्मिलित किये जायें तो उन्हें एक पृथक सूची में ब्योरवार देना चाहिए।

(ख) अनुमानित लागत पृष्ठ पर पैरा के अनुसार रुपया (ग) बयाने की धनराशि

निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने के लिखित आदेश के दिनांक से कार्य के लिए अनुमत समय----- मास-----

क्रमांक	मद संख्या	निर्माण कार्य की मद	लगभग संख्या या परिमाण	इकाई	टेण्डर दर अंकों में	टेण्डर दर शब्दों में	स्वीकृत दर अंकों में	स्वीकृत दर भाब्दों में
---------	-----------	---------------------	-----------------------	------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------------

स्वीकृत अनुमानों में दर्ज दरों से (-----) अधिक / कम प्रति ात पर टेण्डर देता हूँ/देते हैं। या

उपर्युक्त दरों पर टेण्डर देता हूँ/देते हैं।

यदि यह टेण्डर स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुमोदित ठेका लेख्यों के सेट से संलग्न ठेका की सभी भातों और उसके उपबन्धों का पालन करने और उन्हें पूरा करने या उससे ब्यतिक्रम करने पर अध्यक्ष, जिला पंचायत/प्रमुख, क्षेत्र समितियां उस पद में उत्तरवर्तियों के प्रति उक्त भातों में उल्लिखित धनराशि समपहृत करने और भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

इसके साथ बयाने की धनराशि के रूप में करेन्सी नोट्स में -----रुपये का धनराशि भेजी जाती है, जिसका पूरा मूल्य ठेका की भातों के खण्ड -1 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति जमा के कारण बना रहेगा।

दिनांक ----- 2006 टेण्डर फार्म मूल्य जमा की रसीद संख्या व दिनांक-----

साक्षी----- टेण्डर फार्म मूल्य जमा का प्रकार-----

पता----- उपजीविका-----

जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत की ओर से एतद् द्वारा उपर्युक्त टेण्डर मेरे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

स्वीकृति प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पद नाम-----दिनांक-----2006

मैं या हम विकल्प को काट दीजिये और वहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिये।

यहाँ पर ब्योरा और संख्या दीजिये।

टेण्डर प्रस्तुत करने के पूर्व ठेकेदार का हस्ताक्षर ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर के प्रतिसाक्षी का हस्ताक्षर ।

यहाँ पर "सिफारिश नहीं किया गया है" दर्ज कीजिये और हस्ताक्षर कर दीजिए।

(2)